"Whoever by persistent acts of cruelty drives a member of his family living with him to commit suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine."

Then, the thing that is there will not follow. My grievance is, when that man is punished, why not the person who forcibly takes to fasting and forces others to accept his demand is punished. If that goes, I have no objection to the deletion of Section 309. All other Sections are also being examined by the Law Commission.

Only one thing I would request the hon. Minister to consider and which I pleaded before also that when such Commission or Select Committees or other Committees like the Land Reforms Committee or the Land Acquisition Committee are formed, the Members whose Bills are considered should be called to give evidence. I have not been called to give evidence before them. If I have this Bill, why not the Law Commission call me and know my intention so that I may myself withdraw the Bill ? I want that such a thing should be done. As the Law Commission is seized of the matter, I have no objection to withdraw it. So, I would ask the honourable House to give me permission to withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN : There is an amendment in the name of Shri M. C. Daga. Are you pressing it ?

SHRI M. C. DAGA : No, Sir.

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to Shri S. C. Samanta to withdraw the Bill"

The motion was adopted.

SHRI S. C. SAMANTA : I withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : Now, we take up the next Bill.

Shri B. S. Chowhan—absent ; Dr. Karni Singh —absent.

Shri Bhogendra Jha.

16.14 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

Amendment of Eighth Schedule by Shri Bhogendra Jha

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, मैं संविधान की अष्टम सूची में संशोधन करने वाले अपने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि संविधान की अष्टम सूची में हमारे देश की तीन महत्वपूर्ण भाषाओं को जोड़ दिया जाये । हम अपने अनुभव के आधार कुछ नई भाषाओं को अपने संविधान की अष्टम सूची में जोड़ते रहे हैं । जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक बहुभाषी देश है और 1947 में जो दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ, उसके बावजूद यह एक विशाल और महान् देश है । हजारों सालों से जिन भाषाओं के द्वारा हमारी संस्कृति का वहन होता रहा है, उनमें कुछ ऐसी भाषायें भी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा, हिन्दी, से भी पुरानी और प्राचीन हैं, जिनका साहित्य भंडार बहुत प्राचीन और धनी है, परन्तु जिनको अभी तक हमारे संविधान में स्थान नहीं मिल पाया है ।

यह भी सही है कि हम सब अपनी राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा को मजबूत और पुष्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता और ज्यादा मजबूत और पुष्ट हो । इस सम्बन्ध में प्रयासों में जो ढिलाई और कमजोरी है, उन के स्थान पर तेजी और मुस्तैदी लाने की आवश्यकता है । परन्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं अपने देश में हमारे कुछ नेताओं या कुछ विद्वानों की यह समझ रही कि एक ही भाषा से हम काम चला लेंगे, इसलिए दूसरी भाषाएं अगर हैं तो अनावश्यक हैं, संविधान में जितना स्थान उनका न रहे, उतना बेहतर है और अगर कहीं स्थान मिल भी गया तो जितना उनको कम इस्तेमाल होने दिया जाय उतना

[श्री भोगेन्द्र झा]

बेहतर है, ऐसी एक समझ रही है जिसके चलते हमारे देश को बहुत कीमतें चुकानी पड़ी हैं और उसी का इजहार हमने बार बार देखा है जो हिन्दी प्रेम के नाम पर कभी तामिल के खिलाफ, कभी उर्दू के खिलाफ, कभी पंजाबी और गुरमुखी के खिलाफ गलत इजहार होते रहे हैं जिससे कुछ हिन्दी को भी नुकसान हुआ है और हमारे देश को भी नुकसान हुआ है। हमारे संसद ने आवश्यकता के मुताबिक या ज्यादा जन-समर्थन मिल जाने के बाद जो कुछ भाषाओं को अष्टम सूची में स्थान दिया वह इस आधार पर कि जो भाषाएं हमारे देश के विभिन्न हिस्से में लोगों की मातृ-भाषाएं हैं, जनभाषाएं हैं, उन्हें संविधान में, अष्टम सूची में स्थान देने से देश की एकता और भी पुष्ट होती है और हिन्दी एक राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा के रूप में और भी ज्यादा मजबूत बनेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी आधार पर हम उस में अभी भी संशोधन करना चाहते हैं और आज यह मेरा विधेयक मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी को उस अष्टम सूची में स्थान देने के लिए पेश किया गया है।

इस सम्बन्ध में एक और भी मैं आग्रह करूं जिसका हम सभी को अनुभव है कि हमारे न्यायालयों में और हमारे विद्यालयों में अभी भी विद्या की और न्याय की बाजाब्ता बिक्री हो रही है। मैं घूसखोरी की बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो घूस लेते हैं वह भी घूसखोरी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इसके खिलाफ बोलने में कोई तुक नहीं है, लेकिन कचहरियों में पैसे के बिना हम आवेदन नहीं दे सकते हैं, अभी भी विद्यालयों में विद्या हम अर्थ-विहीन होकर नहीं पा सकते हैं क्योंकि अभी भी हमारे संविधान के मुताबिक सरस्वती माता और न्याय की बिक्री हो रही है और इस के चलते हमारे देश का बहुमत हिस्सा अभी भी निरक्षर बना हुआ है। वह लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है किसी भाषा में। लेकिन वह मूक नहीं है, गूंगा नहीं है, बोलता है। और कचहरियों में उसकी मातृभाषा में राजकाज चले, उस इलाके में कम से कम, तो चूंकि वह मूक नहीं है, इसलिए वह बोल तो सकता है, अपनी बातें रख तो सकता है, यह अवसर उस को नहीं मिल रहा है। इसलिए खास कर हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में जब कि हमारे देश का बहुमत हिस्सा अभी भी निरक्षर है, वह एक पंक्ति लिख नहीं सकता, ऐसी स्थिति में मातृभाषाओं को प्रश्रय देना और भी आवश्यक है हमारे जनतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा पुष्ट करने के लिए, और जनगण के एक बड़े हिस्से को राजकाज में ज्यादा हिस्सा लेने का मौका मिले इस कदम को बढ़ावा देने के लिए। इसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक पेश किया गया है।

इसमें मैथिली भाषा एक हजार वर्ष पुरानी है जिसका अपना बहुत ही प्राचीन साहित्य भंडार है और उस जमाने का है जिस समय खड़ी बोली या जिसे हम आज हिन्दी कहते हैं उसका कहीं नामोनिशां नहीं था, उसका जन्म ही नहीं था। तो वह एक समृद्ध भाषा जो सिर्फ प्राचीन ही नहीं है, उसमें आज राजकीय समर्थन के बिना साहित्य की वृद्धि हो रही है, ग्रंथ के रूप में, काव्य के रूप में, गद्य-काव्य, पद्य-काव्य के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में, एक जीवित भाषा के रूप में अभी भी हमारे जनगण की भावनाओं के वाहक के रूप में यह भाषा बढ़ती रहती है, समृद्ध होती रही है।

एक और महत्व की बात है कि यह भाषा भारत की भी है और नेपाल की भी है। जनकपुर जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका नैपाल का है वहां की, सप्तरी, महोबी, मोड़ंग और अन्य बहुत से नैपाल के जिलों की मातृ भाषा मैथिली है और नैपाल में इसे दूसरे नम्बर का स्थान मिला हुआ है। उस मायने में, एकता की दृष्टि से, नैपाल हमारा पड़ौसी ही नहीं है, सिर्फ मित्र ही नहीं है, एक सहोदर जैसा देश है। उसके साथ हमारा और भी

घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस दृष्टि से भी मैथिली को अष्टम सूची में स्थान देना और भी अधिक सहायक होगा।

मैथिली के विषय में कुछ विवाद भी रहे हैं। पिछली मर्दुमशुमारी के वक्त केवल 49 लाख व्यक्तियों के नाम पर इस को मातृभाषा लिखा गया है। हम सभी जानते हैं—कुछ लोगों ने गलत-फहमी में पड़कर या यह समझकर कि मैथिली के लिखाने से हिन्दी कमजोर पड़ जायेगी, इस दृष्टि से भी हिन्दी लिखाया। बहुत से मर्दुम-शुमारी करने वालों ने गलत रूप में जहां मैथिली बोलने वाले लोग थे, वहां हिन्दी लिख दिया। इन सबके बावजूद भी मैथिली भाषी लोग जो दो करोड़ का दावा करते हैं, उसको भी हटा दिया जाय, तो भी 49 लाख लोग ऐसे हैं जो मैथिली भाषी हैं, जो देश के जनतन्त्र में, राजकाज में हिस्सा लेते हैं, उनको अपनी मातृभाषा में काम करने का अधिकार होना चाहिये और इस संसद को उनकी इस मांग की स्वीकृति देनी चाहिये।

इसलिये आप के जरिये मेरा सदन से आग्रह है कि इस पर विचार करें, मंत्री जो यहां पर मौजूद हैं, वे इस पर विचार करें और विचार कर के संविधान में मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दें।

दूसरा जिक्र मैंने राजस्थानी का किया है। मुझे बीकानेर, जोधपुर, डूंगर गढ़ जाने का मौका मिला है। मैं अलवर के इलाके की बात नहीं कह रहा हूं, वह तो सरहद का इलाका है। वहां तो हिन्दी से भी काम चल सकता है। मुझे उन इलाकों के लोगों से जब मिलने का मौका मिला, उनके गीतों को सुना, वहां के सभा-सम्मेलनों में गया, वहां के हाट-बाजारों में इस बोली के सुनने का मौका मिला, उस सब के आधार पर मेरी यह धारणा है—इस बिल को लाने से पहले राजस्थान के किसी संसद सदस्य से इस पर मेरी बात नहीं हुई लेकिन मैंने यह सही समझा कि राजस्थानी को भी एक भाषा के रूप में संविधान में स्थान देना आवश्यक है, खासकर गुजरात और इधर के बीच का जो क्षेत्र है, उसको पुष्ट करने में इस से मदद मिलेगी।

अब मैं भोजपुरी के बारे में कहना चाहता हूं—भोजपुरी भी बड़ी प्राचीन भाषा है, बिहार के पश्चिमी हिस्से और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में यह भाषा बोली जाती है। 5-6 साल पहले तक आम लोगों की यह धारणा थी कि भोजपुरी भाषा में मिठास नहीं है, यह कुछ कड़वी भाषा है, तीखी भाषा है। लेकिन, सभापति जी, आप जानते हैं, आप की भाषा भी भोजपुरी है, पिछले दिनों चार-पांच फिल्में भोजपुरी भाषा में आईं, उसके बाद यह कहना कि इस भाषा में मिठास नहीं है, यह तर्क खत्म हो गया है। जिस तरह से उन फिल्मों ने जनता को प्रभावित किया, न सिर्फ भोजपुरी लोगों को बल्कि अन्य इलाकों के लोगों को, यह इस बात का प्रमाण है कि भोजपुरी में मिठास नहीं है, यह बात गलत है।

ऐसी स्थिति में मेरा आप से आग्रह है कि संविधान की अष्टम सूची में आप इन तीनों भाषाओं को स्थान दें, इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, और इस धारणा में न रहें कि इस से हमारी हिन्दी कमजोर होगी या राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। मैंने अपने अनुभव से देखा है एक समय तेलगु का विरोध किया गया था, कहा गया था कि इससे देश कमजोर पड़ जायेगा, उसके लिये लोगों को कुरबानी देनी पड़ी और उसके बाद एक अलग आन्ध्र बना, उससे देश की एकता कमजोर नहीं हुई, बल्कि मजबूत हुई। इसी तरह से तमिल के लिये जब लोगों ने आवाज उठाई, उसके प्रति कुछ संदेह प्रकट किये गये, लेकिन जब हम ने देखा कि हमने हिन्दी को लादना छोड़ दिया तो उससे न केवल तमिल का लाभ हुआ, बल्कि हिन्दी का भी प्रसार हुआ और देश को एकता और मजबूती मिली। हमारा राष्ट्र एक बहु-भाषी राष्ट्र है, इस राष्ट्र के सब अंग पुष्ट होने चाहियें,

[श्री भोगेन्द्र झा]

लेकिन यह तब ही सम्भव है जब सब अंगों को पुष्ट करने का प्रयत्न किया जाय। केवल एक ही अंग को पुष्ट बनाकर सारे शरीर को पुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि संविधान की अष्टम सूची में इन भाषाओं को स्थान देकर सदन अपने इस जनतान्त्रिक कर्तव्य को पूरा करे।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, मैं श्री भोगेन्द्र झा के बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस में विश्वास करती है कि देश की एकता, देश की भाषा, देश की समृद्धि और देश का पूर्ण विकास जल्दी से जल्दी समय में हो जाना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि अगर हमने कांस्टीट्यूशन के आठवें शेड्यूल में जिन भाषाओं का झा जी ने जिक्र किया है, मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी, जोड़ी जाये तो उससे हिन्दी कुछ निर्बल पड़ जायेगी या देश में कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो सकता है कि दूसरे भाषा वाले भी प्रश्न को यहां पर उठा सकते हैं या बाहर भी उठा सकते हैं। अगर हम अपने पुराने इतिहास को याद करें, इस देश की सभ्यता, इस देश की महानता को देखें या उस चित्र को अपने सामने लायें तो मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों भाषाओं ने तथा और अन्य ऐसी ही भाषाओं ने जैसे बृजभाषा ने इस देश की संस्कृति और इस देश के आचरण को सुधारने के लिए बहुत बड़ी सहायता की है। मैं याद कर रहा हूं मीरा बाई को, आल्हा-उदल लिखने वालों को और उस महान कवि जिसे भाट कहते हैं, चन्द्रबरदाई को जिन्होंने इस देश की राजनीति में ही नहीं, इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि में और आचरण के निर्माण में अपना बहुत ही बड़ा योगदान किया है।

मैं राजस्थान के विषय में तो यह कहना चाहता हूं कि जब जब भी इस देश पर संकट आये हैं राजस्थानी भाषा के सोचने वालों ने जिन्हें हम फिलास्फर कहते हैं, वे नेता जो, देश को दृष्टि दे सकते हैं, जो देश के अन्दर बल प्रदान कर सकते हैं, देश में वीरता को फूंक सकते हैं, देश में चरित्र-निर्माण कर सकते हैं तो उस सम्बन्ध में राजस्थानी भाषा ने इस देश का गौरव ही बढ़ाया है। इसलिए इस बिल को लाकर झा जी ने एक बहुत ही अति उत्तम और साहस का कदम उठाया हैं जिससे कि केन्द्रीय सरकार सिर्फ भौतिक निर्माण की ओर न देखते हुए देश की एकता पर ध्यान रखते हुए इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में इन भाषाओं को मान्यता देकर एकता कायम कर सकती है—उस पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। तो मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे आश्वासन दें कि आज अगर इस काम को नहीं कर सकते हैं तो वे जल्दी इस ओर सोचेंगे और इन भाषाओं को माध्यम बनाकर, विचारक जो कुछ देश में योगदान देना चाहते हैं उसके निर्माण में तो वे सरकार की ओर से एक बिल इस सम्बन्ध में लायेंगे और इन तीन भाषाओं को ही नहीं, उन समृद्ध भाषाओं को जोकि देश की एकता के लिए, देश के चरित्र निर्माण के लिए सहायक हो सकती हैं उनको अवश्य मदद करें। भोजपुरी के विषय में माननीय झा जी ने काफी कह दिया है।

श्री भोगेन्द्र झा : सरकार इसी का समर्थन कर सकती है।

डा० कैलास : मैंने सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं कही है। मैं देश की एकता की तरफ आप का ध्यान खींच रहा था और अब मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी की बात कर रहा हूं, क्यों कि मेरा सम्बन्ध राजस्थान से और उसकी बोली और भाषा से रहा है, इसलिये मैंने उस पर थोड़े शब्द कहने की कोशिश की। लेकिन मैंने यह भी कहा है कि देश की एकता और समृद्धि

को मजबूत करने के लिये और भी भाषाओं को अगर हम इस तरह लाने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा।

मैं जानता हूं केन्द्रीय सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां हैं। हम तीन भाषा की बात करें और फिर अगले सेशन में कुछ दो और भाषाओं की बात करें और उसके बाद फिर कुछ और भाषाओं की बात करने लग जायें। तो केन्द्रीय सरकार का ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि जो जो भी भाषायें देश के सांस्कृतिक जीवन को और देश की एकता को बढ़ाने में, समृद्धि लाने की कोशिश कर रही हैं, उन सब भाषाओं को विचार कर के वे खुद अपनी ओर से इस प्रकार का बिल लाने का प्रयत्न करेंगे। इस नाते मैं मानता हूं कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उस पर अवश्य केन्द्रीय मन्त्री जी ध्यान करेंगे और जल्दी से जल्दी इस प्रकार का बिल लाने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि सभी भाषायें हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक तथा इस प्रकार की जो और चीज चरित्र निर्माण में सहायता करती है उसको लाने का प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय भोगेन्द्र झा के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : सभापति जी, अक्सर यह विवाद उठाया जाता है कि आया राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है या नहीं। हिन्दुस्तान के ही नहीं दुनिया के तमाम भाषा विशेषज्ञ आज इस राय पर पहुंच चुके हैं कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, उसका अपना अधिकार है। आज से बहुत वर्षों पहले कवीन्द्र रवीन्द्र ने यह स्वीकार किया था कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है। भाषा कमीशन ने डा० सुनीति कुमार चाटुरज्या के सभापतित्व में यह राय स्पष्ट व्यक्त की थी कि राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है, उसका अपना अस्तित्व है, वह किसी भाषा की बोली नहीं है।

सभापति जी, हिन्दी अपभ्रंश से निकली है, राजस्थानी शौर से सैनी निकली है। राजस्थानी, गुजराती और सिंधी, ये तीन भाषायें एक अलग परिवार की भाषायें हैं। राजस्थानी का व्याकरण अलग है, वाक्य रचना अलग है। राजस्थानी का अपना शब्दकोश है। अभी एक बहुत बड़े राजस्थानी के विद्वान श्री सीता राम लालस राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार कर रहे हैं, वह करीब करीब पूरा हो चुका है, वह प्रकाशित हो चुका हैं। उसमें ढाई लाख शब्द हैं। दुनिया की किसी भी भाषा के मुकाबले में राजस्थानी भाषा अपना यह दावा पेश कर सकती है कि वह एक अलग समृद्ध और धनी भाषा है।

सभापति जी, स्थिति यह है कि आज राजस्थान में चाहे संविधान राजस्थानी भाषा को मान्यता दे या न दे, लेकिन यथार्थ यह है कि आज राजस्थान की राजस्थानी भाषा अपनी भाषा बन चुकी है। आज राजस्थान का कोई न्यायाधीश गवाही नहीं ले सकता अगर वह राजस्थानी न समझे। कोई अध्यापक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता अगर वह राजस्थानी न समझे। कोई डाक्टर किसी मरीज का डायगोनोसिस नहीं कर सकता अगर वह राजस्थानी न समझे और चुनाव में कोई उम्मीदवार जीत नहीं सकता अगर वह राजस्थानी न बोले और न समझे। कई गैर-राजस्थानियों ने कोशिश की अपने पैसे के जोर पर राजस्थानी जनता से वोट ले लें। वह राजस्थानी नहीं जानते थे, जनता से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके हार गये चुनाव में। हमारे यहां पंचायतों में पंचायत समितियों की सारी कार्यवाही राजस्थानी भाषा में चलती है। यहां तक कि विधान सभा में भी बहुत सदस्य राजस्थानी में बोलते हैं। दैनिक व्यवहार में, राज्य के कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थानी भाषा वास्तविक भाषा है। रेडियो को भी अब मजबूर होकर राजस्थानी भाषा में प्रसारण करना पड़ रहा है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने भी राजस्थानी भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। यदि हम संविधान में यथार्थ को प्रतिबिम्बित नहीं करेंगे तो वह

[श्री अमृत नाहाटा]

उचित नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि कानून से भाषायें बनाई जायें, विधान से भाषायें बनती भी नहीं, लेकिन जो भी यहां की भाषायें हैं, समृद्ध भाषायें हैं, उनमें आप को मीरा के मुकाबले की कोई कवियित्री नहीं मिलेगी। क्या मीरा की वाणी को हमारे संविधान में स्थान नहीं मिलेगा? उस अमर वाणी को जो आज देश के कोने-कोने में हर प्रभात को गूंजती है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को उसका अपना अधिकार मिलना चाहिये। तीन करोड़ जनता इस भाषा को बोलती है, तीन करोड़ जनता इस भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करती है और यह भाषा बहुत समृद्ध है। इसमें बहुत साहित्य है, इसमें हस्तलिखित साहित्य का अखूट भंडार भरा है। राजस्थानी साहित्य के अन्वेषण के लिये, शोध के लिये, प्रकाशन के लिये आज हमें पूरे साधन नहीं मिलते। इस लिये कि इस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। आज जब राजस्थानी में बहुत काफी सृजन हो रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं, गद्य लिख रहे हैं, पद्य लिख रहे हैं, तब यदि हम इस भाषा को अपने संविधान में मान्यता न दें तो यह बड़ी विडम्बना होगी।

एक प्रश्न उठाया जाता है कि राजस्थानी भाषा का स्टैन्डर्ड स्वरूप कौन सा है, वह तो केवल एक बोली है हिन्दी की। हमें हिन्दी से कोई विरोध नहीं है, हमारा दावा है कि राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अच्छी, सुन्दर और शुद्ध हिन्दी बोलते हैं। हिन्दी हमारी मां है, हिन्दी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, लिंक लैंग्वेज है और राजस्थान ने उसे अपनाया है। राजस्थानी की मान्यता से हिन्दी कमजोर नहीं होगी, हिन्दी और सुदृढ़ बनेगी, और मजबूत बनेगी। इसलिये जब यह प्रश्न उठाया जाता है कि राजस्थानी का स्टैंडर्ड स्वरूप कौन सा है, तो वह प्रश्न भी हल हो चुका है। राजस्थानी भाषा-भाषियों ने यह तय कर दिया हैं। राजस्थानी की अनेक बोलियां हैं। हर भाषा में बोलियां हुआ करती हैं। राजस्थानी में कहते हैं कि बारह कोसों बोली बदले। अर्थात् हर चौबीस मील पर बोली बदलती है। राजस्थान में कई बोलियां हैं जिनका एक स्टैन्डर्ड स्वरूप है, जो राजस्थान के उस केन्द्र से निकली है जहां मीरा पैदा हुई थी। मेरता भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का केन्द्र है। अगर कल्टरं क्रीज की थ्यौरी के अनुसार देखें, उसे संस्कृति और कला की दृष्टि से देखें तो वह केन्द्र विन्दु रहा है जहां से यह भाषा निकली है। शनैः शनैः दृष्टि कोण का रूप बदलता रहा है लेकिन स्टैन्डर्ड स्वरूप राजस्थानी का तय हो चुका है।

यह कहना कि अगर राजस्थानी, भोजपुरी और मैथिली को मान्यता दी गई तो और भाषायें भी दावा करने लगेंगी तब फिर हम किस को मान्यता दे किस को न दें, गलत है। आज से कुछ समय पहले इसी सदन ने सिन्धी भाषा को एक मत से मन्जूरी दी थी और उसको संविधान में स्थान दिया गया था। यद्यपि आज कोई दावा नहीं करता कि देश के किसी क्षेत्र विशेष की वह भाषा है। वह किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी हमारे देश में आये वह यह भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा को हम ने मान्यता दी। उस समय यह दलील नहीं दी गई कि अगर हम सिन्धी भाषा को मान्यता देंगे तो बहुत सी भाषायें मांग करेंगी। अगर और भाषायें मांग करें तो उस पर विचार किया जाये, लेकिन और भाषायें मांग करेंगी, इस दलील से इस भाषा के अधिकार से आप उसको वंचित रक्खें, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

यह कहा गया है कि अधिक भाषाओं को मान्यता देने से देश विखण्डित हो जायेगा, छिन्न-भिन्न हो जायेगा। यह दलील सही नहीं है।

हमारा राष्ट्र और हमारा देश एक फुलवाड़ी है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अगर अधिक रंग बिरंगे फूल होंगे तो उसका सौन्दर्य बढ़ेगा, उसकी विभिन्नता बढ़ेगी। इससे राष्ट्र कमजोर नहीं होगा बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और दृढ़ होगी। किसी भी क्षेत्र के, और राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को, उनकी भाषा को दबा कर आप चाहें कि देश की संस्कृति मजबूत हो, तो वह मजबूत नहीं होगी। उसको पूरा विकास का अवसर दिया जाये। उनकी विशाल परम्परायें हैं, संस्कृति है, भाषा है, साहित्य है, लोक गीत हैं। उनको प्रस्फुटित होने दिया जाये, विकसित होने दिया जाये। विकसित होने दीजिये। वह हमारी महान संस्कृति को और अधिक सम्पन्न करेगी और अधिक समृद्ध करेगी। इससे देश कमजोर नहीं होगा, मजबूत होगा।

मेरा आप से निवेदन है कि यह कानूनी दलील की बात नहीं है। यह बहानों की बात नहीं है। यह हकीकत है। राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता की भावनाओं का यह प्रश्न है। उन भावनाओं की आप इज्जत करें। मैं चाहता हूं कि मैथिली भोजपुरी और राजस्थानी इन तीनों भाषाओं को संविधान में आप स्थान दीजिये।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति महोदय, जो बिल श्री भोगेन्द्र झा लाए हैं उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। भोजपुरी, मैथिली और राजस्थानी ये तीनों भाषायें अनोखी भाषायें हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां वे अपना कारोबार, अपना सारा धन्धा आदि इन्हीं भाषाओं में करते हैं। सरकारी काम के लिए वे हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, यह बात ठीक है। लेकिन अपने घरेलू काम में और सारे जनजीवन में वे अपनी इन भाषाओं का उपयोग करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको भोजपुरी के बारे में बताता हूं। चम्पारन और नेपाल की जो सरहद है वह दो सौ मील की सरहद है। इस दो सौ मील के इलाके में आप कहीं भी चले जायें, आपको लोग भोजपुरी में बातचीत करते हुए मिलेंगे। नेपाल में भी भोजपुरी भाषा है। बिहार में तो यह बोली ही जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में भी इसको बोलने वाले हैं। बिलासपुर का एरिया सारा भोजपुरी एरिया है। भोजपुरी बोलने वाले लोगों की आबादी को जोड़ा जाए तो वह चार पांच करोड़ से कम नहीं होगी।

हम लोगों ने बचपन में भोजपुरी में शिक्षा ग्रहण की। इसके क, ख, ग, घ, ङ, आदि अक्षर ऐसे हैं कि जिन को सीखने में बहुत सहूलियत है। मात्रा की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ का झगड़ा नहीं है, व्याकरण की दिक्कत नहीं है। आप इस भाषा को बढ़ायें, इसको समृद्धशाली बनायें। इससे लोगों में उत्साह बढ़ाने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। इस भाषा का परिवर्द्धन करना आपका कर्त्तव्य है।

जब पहले पहल राजनीतिक चेतना पैदा हुई तब जो गीत निकला वह आपको मालूम होना चाहिये कि भोजपुरी भाषा का निकला। उससे लोगों में देश भक्ति की भावना जागृत हुई। आज भी उस गीत को गाया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसको समझा नहीं जा सकता है। आज भी उससे देश भक्ति की भावना पैदा होती है और उत्साह पैदा होता है।

सभापति महोदय, स्वाधीनता की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। उस लड़ाई में हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में प्रयोग नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इन भाषाओं का सहारा ले कर ही हम लोगों ने जनता में चेतना और जागृति पैदा की। जितनी कवितायें, गीत, भाषण आदि होते थे इन्हीं भाषाओं में होते थे। यहां तक कि हमारे

[श्री विभूति मिश्र]

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के जितने भी भाषण हुए वे भोजपुरी में हुए। वे ठेठ भोजपुरी बोला करते थे। जन जीवन में जागृति लाने के लिए उन्होंने भाषा का हमारे यहां प्रयोग किया।

आप इंग्लैंड में जा कर देखें। आपको पता चलेगा कि वेल्ज वालों की अलग एक भाषा है। स्काटलैंड वालों की अलग भाषा है। आफिशल का कामकाज तो उनका अंग्रेजी में होता है, यह बात ठीक है। कानून मन्त्री जी बैठे हुए हैं। वह इंग्लैंड गए होंगे और उनको इसके बारे में पता होता। मैं भी एक बार वहां गया था। मुझे वहां वेल्ज वालों ने यह बताया कि हम लोगों का घर का सारा काम-काज वेलिश भाषा में होता है। स्काटलैंड में मैंने देखा कि उनका सारा कारोबार और सारी बोल-चाल स्काटिश भाषा में होता है। अगर इन भाषाओं को स्थान दे दिया जाए संविधान में तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। देश भक्ति की भावना कमजोर नहीं पड़ेगी। हिन्दी आफिशल लैंगुएज रहेगी। उससे कोई झगड़ा नहीं है।

जहां तक राजस्थानी भाषा का सम्बन्ध है, राजस्थान के लोग अगर इस भाषा को ठीक ठीक बोलें, जल्दी में न बोलें तो हम लोग जो बिहार के रहने वाले हैं, वे भी राजस्थानी भाषा को समझ जाते हैं। हमारे यहां राजस्थान के जो सेठ-साहूकार रहते हैं, जब वे धीरे-धीरे बोलते हैं, तो हम उनकी भाषा को समझ जाते हैं, लेकिन जब वे जल्दी बोलते हैं, तो हमें समझने में कठिनाई होती है। मैथिली भाषा संस्कृत से परिप्लावित है, उसमें संस्कृत का ज्यादा स्थान है। अगर लोग मैथिली भी धीरे-धीरे बोलें, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। यही स्थिति बंगाली की है। हिन्दुस्तान की सारी भाषायें एक प्रकार से संस्कृत से निकली हुई हैं। इस लिए उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हां, थोड़ी बहुत क्रियाओं और उच्चारण में कठिनाई होती है।

इसलिए मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं। सरकार को इस बिल को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन भाषाओं को संविधान में मान्यता देने से उनका लिट्रेचर बनेगा, उनकी पुस्तकें तैयार होंगी और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जायेंगी। सरकार को अपना कारोबार हिन्दी और देवनागरी लिपि में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

कहा जाता है कि इस प्रकार संविधान के आठवीं सूची में पचास भाषायें हो जायेंगी। जब हमारा राष्ट्र इतना बड़ा है, जब सरकार इतना बड़ा प्रशासन चला रही है, तो भाषाओं की संख्या में वृद्धि होने से उसे घबराना नहीं चाहिए। वह इतनी बड़ी मिलिटरी रखती है, दवा-दारू की व्यवस्था करती है और नदी घाटी योजनायें चलाती है देश में जनसंख्या बढ़ रही है। इस स्थिति में एक-आध भाषा को शिड्यूल में जोड़ने से उसका क्या घाटा होने वाला है?

जहां तक खर्च बढ़ने का प्रश्न है, जब प्रशासन का काम बढ़ता है, तो खर्चा होता ही है। अगर किसी का लड़का न हो, तो उसको सारी आमदनी ही आमदनी है। लेकिन जिसका लड़का होगा, जिसकी सब लोग कामना करते हैं, उसका खर्चा भी बढ़ेगा, और आमदनी भी बढ़ेगी। अगर हिन्दुस्तान में कोई आदमी नहीं रहेगा, तो यह जंगल हो जायेगा। कौन हिमालय के जंगलों में जाता है? ऋषि मुनि जाते होंगे।

खास तौर से प्रजातंत्र में सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह न केवल हर एक भाषा का बल्कि हर एक विषय का विकास करे। सरकार का काम हम लोग कर रहे हैं। देश के विकास और समृद्धि के लिए हम लोग सरकार की मदद कर रहे हैं—इस प्रकार के नानआफिशल बिल और रेजोल्यूशन ला कर हम सरकार की मदद कर रहे हैं।

इसलिए सरकार को इन भाषाओं को संविधान में मान्यता दे देनी चाहिए। वैसे,

अगर वह आज मान्यता नहीं देती है, तो कल या परसों देगी । जब सिंधी के लिए दो चार बार आग्रह किया गया, तो सरकार ने उसको मान्यता दे दी । इसी तरह अगर इन भाषाओं के लिए दो चार बार कहा जायेगा, तो सरकार उनको मान्यता देगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार जनता की ताकत के सामने झुकती है । लेकिन सरकार को समय पर और ग्रेस के साथ झुकना चाहिए । इसी में सरकार की खूबी है और हम सदस्यों की भी खूबी है । अगर हम 350 सदस्य न रहें, तो यह सरकार भी न रहे ।

जहां तक श्री मिर्धा का प्रश्न है, वह राजस्थानी के समर्थक हैं और कविता भी लिखते होंगे । उनका उदार हृदय है । इस लिए यह उचित है कि वह इस बिल को स्वीकार करें ।

SHRI DASARATHA DEB (Tripura East) : Sir, I support this Bill for the inclusion of Bhojpuri, Maithili and Rajasthani in the Eighth Schedule of the Constitution on principle. I have got no special charm for any of these languages, but why should they not be included in the Eighth Schedule ? Not only these languages. I plead that if any other language in India which is spoken by the people has a chance to be developed, all those languages should be included in the Eighth Schedule, because by so doing, our national integrity would not suffer. Rather, it will be strengthened. I belong to a community which has its own dialect. I had to learn English through Bengali and I learnt Bengali through some other languages. I have got no scope to speak in my tribal language here. Not only Bhojpuri, even Nepali is quite a developed language. Lot of people are speaking Nepali and hence Nepali language should be included. Why not my Tripuri language ? It is also a dialect. Attempts are being made to convert it into written language. Why should it not be developed ? Even if I were to learn Hindi through which language can I learn. For that I have to learn Hindi. Obviously it is a task of the Government to develop all the dialects into a written language and after developing of the language it should be included in the Constitution itself. I had a talk with the South Vietnamese delegation when it was here and they said in the course of their revolution they have developed 15 tribal dialects into a language. Children are being educated upto college level through their own languages. I have seen in the Soviet Union and other countries also so many dialects have already been converted into a written language. So our Government should not only include Bhojpuri, Maithili and Rajasthani but also see that there are so many languages in India which you have to develop into a written language otherwise these people cannot develop and acquire knowledge. If our Government takes care to develop these dialects into a written language then, I think, our national integrity will be strengthened instead of deteriorating.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सभापति जी, मैं हिन्दी में बोलना चाहता हूं ताकि यह कोई न समझे कि हिन्दी को दुर्बल करने के लिये या कमजोर करने के लिये बंगाली लोग यहां बैठे हुए हैं । यह गलत ख्याल दूर करने के लिये मैं हिन्दी में बोल रहा हूं । मैं दो तीन बात तीन चार मिनट में कहूंगा । मैं राजस्थान में एक दो मर्त्तबा गया और पांच सात रोज वहां पर रहा । एक रोज पिलानी के एक स्कूल में मैं गया तो वहां पर देखा कि स्कूल स्टूडेंट्स की मैगजीन में एक तरफ तो हिन्दी में छपा था और उसके दूसरी तरफ राजस्थानी में छपा था । मैं हिन्दी अच्छी तरह से लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बोल भी सकता हूं जैसाकि आप देख रहे हैं । उसको पढ़ करके मेरी समझ में कुछ नहीं आया । मेरे साथ में एक राजस्थानी थे, उनसे पूछा तो वह बोले कि यह राजस्थानी भाषा अलग है, इसीलिये हिन्दी जानते हुए भी आप उसको समझे नहीं । आप डेढ़ दो महीने रहिएगा तो समझ में आ जायगी । मुझे तो मौका नहीं था, डेढ़ दो महीने रहने का । फिर मैं कुछ गांवों में भी गया । वहां पर जा कर के देखा कि गांवों के साधारण जो किसान हैं वह बातचीत कर रहे थे मगर हिन्दी में वह पूरा समझ में नहीं आया, वह मैंने वहां देखा । इसीलिये मैं समझता हूं कि आठवें शेड्यूल में इस भाषा को मान्यता देनी चाहिए ।

[डा० रानेन सेन]

मैथिली के बारे में मेरा और भी ज्यादा तजुर्बा है । क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक बंगाली और मैथिली की लड़ाई चली कि विद्यापति कौन थे ? बंगाली थे या मैथिली ? आखिर में तय हो गया कि मैथिली थे । यह बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और मिथला में काफी आदमी इस जबान को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं । यह काफी आदमियों की जुबान है, वे लोग इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं । मैंने 40 साल पहले देखा था—मैथिली भाषा में एक अखबार निकलता था जिसके हरूफ बंगला के थे । झा जी से भी मैंने कहा था और उन्होंने भी मेरी बात को मान लिया था कि ऐसा था । इसके अलावा कलकत्ता यूनीवर्सिटी, पटना यूनीवर्सिटी, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, बनारस यूनीवर्सिटी, में इस भाषा के लिये चेयर है, कलकत्ता यूनीवर्सिटी में तो सन् 1905 से है, उन्होंने भी इस भाषा को मान लिया है । इसलिये मैं समझता हूं कि मैथिली भाषा को अवश्य मान्यता देनी चाहिये ।

जहां तक भोजपुरी का सम्बन्ध है, आप जानते हैं मैं कलकत्ते वाला हूं, भोजपुरी तो हम लोग वहां हर समय सुनते हैं और समझ भी लेते हैं । जैसा अभी बताया गया, एक-दो फिल्में भोजपुरी में कलकत्ते में दिखाई गई और मैंने वहां पर देखा कि तमाम बिहारी, यू० पी० वाले भाई, भोजपुरी उसकी जुबान हो या न हो, वहां पर जा कर भीड़ लगाते थे । उसका एक गाना भी मुझे याद है—गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबे । मैं भी जा कर वहां बैठ गया, उसको देखा और उसमें बहुत दिल-चस्पी ली ।

मैं कहना चाहता हूं कि हर एक जुबान को अगर विकास का मौका मिल जाय, तो इस में हिन्दी को नुकसान नहीं हो सकता है । हिन्दुस्तान में बहुत सी भाषायें हैं । जैसे नैपाली भाषा है । अभी दशरथ देव जी ने उसके बारे में कहा और सिर्फ नैपाल में ही नहीं हमारे बंगाल में भी उसको मान्यता दी गई है । असेम्बली में उस भाषा में तकरीरें होती हैं, नोट-डाउन की जाती हैं । इसलिये मैं झा जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह इसको भी इसमें बढ़ा दें, नैपाली को भी 8वें शेड्यूल रख दिया जाय तो इससे देश कमजोर नहीं होगा बल्कि इससे पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है । बंगला देश ने अगर कोई सबक सिखाया है, तो वह यह कि पाकिस्तान ने उस भाषा को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हो सके । बंगला देश जो लिट्रेचर निकला, उसने बंगला भाषा को इतना समृद्ध किया, जितना वेस्ट-बंगाल ने भी नहीं किया । "इत्तिफाक" अखबार में पं० जवाहर लाल नेहरू की मौत के बाद एक एडिटारियल निकला था, जिसे बंगाल के सबसे बड़े जर्नलिस्ट श्री विवेकानन्द मुखर्जी ने लिखा था, वैसी बंगाली हमारे वेस्ट बंगाल में भी आज तक किसी ने नहीं लिखी है । इसलिये हिन्दी भाषियों को इससे कोई डर नहीं है । भाषा को कोई भी मार नहीं सकता । अगर इन भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिल जायगी तो इससे हमारा देश समृद्ध होगा और जैसा झा जी ने कहा है कि वह एक सुन्दर फुलवाड़ी होगी, जिसका मन्जर अच्छा होगा, दृश्य अच्छा होगा । यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आर्टीकल 344 और आर्टीकल 345 देखने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं-कई बार भाषा को बनाया नहीं जाता, भाषा अपने आप अधिकार जमा लेती है । मेरे दिमाग में यह बहुत दिनों से है और राजस्थान में भी हम बात करते थे तो हम यह कहते थे कि असेम्बली से पहले राजस्थान वाले अपनी भाषा को अपने काम-काज में लागू करें, अपनी स्टेट में लागू करें । उनको इसके लिये किसी ने मना नहीं किया था । मैंने कई बार इस

बात को कहा है—जैसे भोजपुरी है, जिस स्टेट में यह भाषा है, पहले वह स्टेट दावे के साथ उसको अपने यहां ले, उसमें अपना काम-काज करे, लेकिन आज कौन सी स्टेट है जो उन भाषाओं को अपने यहां काम में लेती है।

17 hrs.

कई बार भाषाओं के प्रश्न को हम लेते हैं—भाषा किसी के रोके रुक नहीं सकती, जिस भाषा में अच्छे साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, वे अपने आप छा जाते हैं । हम इस बात को न भूल जायें कि बोली और भाषा में फर्क होता है। हर दस कोस या बीस मील के दूसरी भाषा बोली जाती है । भाषा का गौरव हम मानते हैं । हमारी भाषा सम्पन्न है, उसमें गौरव हैं लेकिन जो यह दावा करते हैं कि उसको शेड्यूल में ले लिया जाये तो उसके पहले जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान स्टेट हैं उसमें इस भाषा को क्यों नहीं ले लिया जाता ? आप की यह जो भाषा भोजपुरी है उसको स्टेट में क्यों नहीं ले लिया जाता ? जब तक स्टेट के रहने वाले लोग अपनी भाषा को अपना नहीं लेते, कोर्टस में नहीं अपना लेते, अजमेन्ट्स में किताबों में नहीं अपना लेते . . . (**व्यवधान**) . . . आपको अधिकार है स्टेट में अपना सकते हैं । तो मेरा कहना है कि जब यह सवाल पैदा होता है कि ज्यादा भाषायें बना दी जायें, आज अगर भोजपुरी की बात होती है तो कल को ब्रजभाषा वाले खड़े होंगे कि वह भी बहुत मधुर भाषा है । सूरदास ने बड़ा अच्छा साहित्य लिखा है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भाषाओं को लेकर इस तरह का सवाल नहीं पैदा होना चाहिये । भाषा को लेकर फिर प्रान्तों का सवाल भी पैदा हो सकता है । बाग में सुन्दर सुन्दर फूल खिले यह बात सही है लेकिन आजकल कौन सी भाषा का उपयोग होता है। आप राजस्थान में जाइये और देखिये कौन सा ऐसा आदमी होगा जो हिन्दी न जानता हो या न बोलता हो या न समझता हो ? . . (**व्यवधान**) तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा बनाई नहीं जाती है बल्कि अपने आप वह अपना अधिकार जमा लेती है कई बार भाषा के मामले में लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि भाषा अपने आप आती है । राज्य की भाषा बनाने का सवाल तो बाद में पैदा होता है। ऐसे ऐसे विद्वान और साहित्यकार पैदा होते हैं कि भाषा अपने आप अपना ली जाती है। इस तरह से जो आप भाषाओं को लाना चाहते हैं उससे मैं समझता हूं एक झमेला ही खड़ा होगा। फिर भाषा को लेकर प्रान्तों की बात भी आ सकती है . . (**व्यवधान**) . . . राजस्थान में हिन्दी भाषा है। राजस्थान में आज इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, राजस्थान की पाठशालाओं में, राजस्थान के कालेजेज में, राजस्थान की अदालतों में—बोली चाहे कोई भी हो लेकिन जो भाषा है वह हिन्दी ही है । हिन्दी भाषा को ही सभी जगह पर काम में लाया जाता है। . . (**व्यवधान**) . : . बोलियां अलग अलग हो सकती है इसलिए आप बोलियों को भाषा मत समझिए। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग बोली और भाषा में फर्क नहीं समझते हैं । तो मेरा कहना यह है कि स्टेट्स को भाषा अपनाने का हक है और जब स्टेट उस भाषा को अपना ले तभी दूसरी जगह पर उसे लेने की बात हमें करनी चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति जी, माननीय अमृत नाहाटा जी का भाषण सुनने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ। मैं पहले नहीं समझता था कि राजस्थानी भी कोई भाषा है मेरा इमप्रैशन यह था कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिन्दी प्रान्त हैं और वहां की भाषा हिन्दी है। लेकिन राजस्थानी, भोजपुरी और मैथिली भाषायें भी हैं, यह मुझे मालूम नहीं था।

मैं पिछले सप्ताह इलाहाबाद और बनारस गया था। वहां गंगा के ऊपर नाव चलाने

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

वाले बातचीत कर रहे थे । मैंने पूछा कि आप कहां के हैं । वह बोले उत्तर प्रदेश के । बनारस में नाव चलाने वालों से पूछा कि वे कहां के हैं, तो वे बोले कि बिहार के । तो वे मैथिली और भोजपुरी में बात कर रहे थे और हिन्दी में नहीं बोल रहे थे । इसलिये मेरी राय है कि ऐसी भाषाओं को जरूर डेवलप करना चाहिए । हिन्दी को आप लिंक लैंगुएज रखें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन इन जबानों को जरूर डेवलप करना चाहिये और बराबरी का आफिशियल लैंगुएज का दर्जा उनका होना चाहिए ।

माननीय मिर्धा साहब, जो राजस्थान के हैं, उनको असर्ट करना चाहिये कि राजस्थानी भाषा हो । इसलिये मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं । नैपाली को भी बराबर ऐनकरेज करना चाहिये, इसमें क्या बुरी बात है । आप यह न समझें कि अगर इन भाषाओं को डेवलप करेंगे तो हिन्दी कमजोर होगी, मिट जायेगी । ऐसा कभी नहीं होगा । हम तेलगू बोलने वाले हैं तो इस का मतलब यह थोड़े ही है कि हिन्दी भाषा को उस से नुकसान पहुंचता है । इसलिये सभी भाषाओं को डेवलप करना चाहिये, इस से हिन्दी को मदद मिलेगी ।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Chairman, Sir, I am most grateful to the hon. Member, Shri Bhogendra Jha, for once more bringing forward this Bill before the House.

If you remember, in the last Parliament, I had brought forward a Bill for inclusion of Rajasthani in the Eighth Schedule of the Constitution and it evoked a lot of interest in this House at that time. But for some reason or other, it was not possible to have this included in the Eighth Schedule of the Constitution. I am very glad that once more this language Bill come before the House. These three important languages, Maithili, Bhojpuri and Rajasthani are being sought to be given recognition. I support the Bill moved by my hon. friend and I sincerely hope that this honourable House will give its sympathetic consideration.

I remember very vividly, when I moved this Bill about 2 or 3 years ago, and, I think, Mr. Y. B. Chavan was the Minister then dealing with the matter, I had made out a case that if Punjab which is our border State and Gujarat which is another border State could have their own languages recognised, what was the crime committed by more than 2 crores of Rajasthani people who spoke Rajasthani and still had no recognition of their language. I do not agree with my hon. friend, Shri Daga, when he says that Rajasthani is a dialect, that it is not a language. Every body knows that some of the important factors for a language are for example the availability of a dictionary. You know that we have four large dictionaries prepared in Rajasthani which were produced before the House last time. We have films in Rajasthani. We have newspapers and magazines in Rajasthani. And more than 2 crores of people speak this language not only in Rajasthan but wherever they are domiciled, even in other States and outside India. I am even talking about Hong Kong, Cambodia and Singapore and Rangoon. Wherever they are, we find they still speak that language. Now, Sir, the important thing is this, that if a particular State Government has taken a decision that Hindi should become the State Language, I have no objection. After all, we are all trying to make Hindi the *lingua franca* for the entire country. And, I think this would be the means by which this country could be unified and brought together. But, as long as you recognise the languages of some of the other States, the case of Rajasthani cannot go over board. In view of all this, I would like to support the Bill and I sincerely hope that Rajasthani will find its way in the Constitution and in the Eighth Schedule and that it will become the sixteenth or whatever number it is, official and recognised language of the country. My hon. friend said that by virtue of the fact that in Rajasthan State for years, only Hindi is spoken in courts, therefore Rajasthani is not a language and there are dialectic changes. I wish to say that in Bikaner, Joghpur and Udaipur, etc. Rajasthani has been spoken; although there are small changes in dialect.

SHRI AMRIT NAHATA: That is not true; most of the witnesses deposed in Rajasthani.

DR. KARNI SINGH: May I draw the

attention of the hon. Minister to one thing? Even in respect of the English language, if you go to England, in the North, English is spoken in a different way in Wales, it is spoken differently. But it is still called English. In USA, English is spoken all over the United States, but in Texas, they have a particular drawl. If you go to the north of USA, they speak differently. There are various dialects in every language and there will always be this small variation. I don't have all the facts, but I wish to say that great men and scholars like Tagore, Malaviya and Tassatori recommended that Rajasthani should be one of the languages accepted.

Finally, I would like to conclude by saying that I support my hon. friend Shri Bhogendra Jha, and I request the House to accept this measure.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE): The debate has been very interesting; for me, it has been instructive also. I do not wish to underrate the importance of these three languages, Rajasthani, Maithili and Bhojpuri. I am afraid, I will have to persuade the hon. Member to withdraw this Bill for practical reasons which I will presently mention.

There seems to be some misapprehension about the scope of the Eighth Schedule. Members seem to regard inclusion in the Eighth Schedule is very relevant and important for development of the languages included therein. The correct position is this. Inclusion in Eighth Schedule is relevant only for the development of Hindi and not for development of those languages themselves. If you see the provisions of Article 244 and 251 you will see my point. It will be abundantly clear that the intention of these Articles is to see how assistance can be drawn from other languages for the development of Hindi. When the Eighth Schedule was drawn up, these languages were regarded as the feeding ground for the healthy and proper development of Hindi. Therefore, the assumption that the growth of these languages will be impeded if they are not included in the Eighth Schedule is not correct. It might be true that the development of Hindi might be retarded, but at the same time, the reverse is not necessarily correct, that the development of these languages will be impeded, because they are not included.

Some hon. Members conceded in the course of the discussion that some of these languages, Rajasthani, for example, are being accepted by some universities for higher educational coaching, for degree courses, etc. They have received their due status as languages irrespective of whether or not they are in the Eighth Schedule.

श्री हुकमचन्द कछवाय (मुरेना) : बुंदेलखण्डी भाषा है, उस के बारे में बतलाइये ।

श्री एच० आर० गोखले : और भी बहुत सी भाषायें हैं, एक ही नहीं है ।

In fact, when I said, practical reasons, the hon. Member is assisting me by adding one more language. For, I was about to say that already demands have been made for the inclusion of Manipuri, Santhali, Nepali and Konkani. The hon. Member Shri Hukam Chand Kachwai has mentioned one more just now. Many more could also be thought of, and probably it would have to be considered whether they should also not be included in the Eighth Schedule. But the relevant point to consider is whether their inclusion in the Eighth Schedule would assist the further development of Hindi. I am not sayying that these languages would not be of assistance; what I am saying is that it is wrong to think that if they are not included in the Eighth Schedule, the devopment of these languages will be impeded. The Eighth Schedule has nothing to do with that. I would request hon. Members to consider this that in a vast country like this where a large number of languages are spoken and there are many dialects, we cannot consider this question piece-meal by including just one or two languages in the Eighth Schedule by considering a Bill like this. It may be that a more comprehensive view of the whole picture pertaining not only to these three languages but to the various other languages also will have to be taken.

All that I can say at the moment is that Government do not want to underrate or minimise the importance of these languages, and Government do not consider, that the development of these languages is impeded by their non-inclusion in the Eighth Schedule. Actually, these languages, as hon. Members themselves have pointed out, have developed

[Shri H. R. Gokhale]

considerably, irrespective of the fact that they are not included in the Eighth Schedule.

Actually, Shri M. C. Daga said that the development of a language did not depend upon on its inclusion in the Schedule of the Constitution. Languages grow by themselves. Their acceptance by the people and the development of the literature etc. in these languages are really two contributory factors. Rajasthani, for example, has received recognition from the Sahitya Akademi, as the hon. Member has said.

SHRI BHOGENDRA JHA : Maithili also.

SHRI H. R. GOKHALE : I agree. All these languages have developed. In fact, this supports my contention that these languages have been developed and have received due recognition in their proper place even though they are not in the Eighth Schedule. For, the Eighth Schedule was not meant for the development of these languages. The Eighth Schedule had reference to languages which could be considered as of assistance for the development of Hindi. Therefore, I think that the premise is wrong that these languages will not grow if they are not included in the Eighth Schedule. That is not the scheme of article 244 or 251 read with the Eighth Schedule.

One more thing which was very relevant and which I think was mentioned by Shri M. C. Daga in the course of his speech was that if really people who spoke these languages wanted these languages to grow and they wanted to do something about them, then the real way of doing it would be to insist that in the States or in the areas in which they are spoken, these should be accepted as the official languages. And this can be done. I agree with him that legally under the Constitution this can be done, irrespective of the fact whether they are in the Eighth Schedule or not. There is another specific article to which nobody has referred, namely article 245 which says that a State can adopt a language which is spoken by the people of that State for the purpose of official use. Therefore, Rajasthani can properly be adopted in Rajasthan for official use.

I have got the figures here with me. Rajasthani is spoken by 149.30 lakhs in Rajasthan, Maithili is spoken by 49.85 lakhs in UP and Bihar. Bhojpuri is spoken by 79.65 lakhs in Bihar. So, if a substantial number of people speak this language and have accepted it as their language in these areas, then the Members should agitate that those States should adopt these languages for their official use. And it is permissible under the Constitution under article 245 even without their inclusion in the Eighth Schedule.

Finally, I would repeat that I do not wish at all to under-estimate or minimise the importance of these languages. In fact, I do recognise the importance of these languages. Government also do not wish to underrate the importance of the fact that these languages along with many others which have not been mentioned in the present amending Bill ought to be the subject of proper development and healthy growth. Therefore, a more comprehensive view will have to be taken, if at all anything more is to be added in the Eighth Schedule. Why not include Manipuri, Santhali, Nepali and Konkani ? If the three languages mentioned in the Bill could be included, why not these other languages also ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : बुन्देलखण्डी और मालवी भी ।

SHRI H. R. GOKHALE : Yes, including the languages mentioned by my hon. friend. I do not want to go into an exhaustive list of all the languages. But if these three languages could be included, then there are many more which will probably need to be considered for inclusion in the Eighth Schedule. . .

SHRI AMRIT NAHATA : But all these languages were not considered when Sindhi was included in the Eighth Schedule. These arguments were valid when Sindhi was included. The Constitution should reflect reality.

SHRI H. R. GOKHALE : I agree that when Sindhi was included, this argument was equally valid. The fact that at that time Sindhi got included does not mean that the argument becomes invalid. It was equally valid at that time.

श्री विभूति मिश्र : जो मर्यकरी भाषा होती है, उस को तरजीह मिलती है । आज संस्कृत

अर्थकरी भाषा नहीं है, इस लिए वह मर रही है। इस लिए इन भाषाओं को अर्थकारी बनाना जरूरी है।

SHRI H. R. GOKHALE: I do not wish to enter into a debate as to which language is more important than which other. At the moment, I am content with saying that most of these languages need development and assistance, but it does not depend upon inclusion in the Eighth Schedule, because that is the schemes of articles 245 and 251 read with the Eighth Schedule.

SHRI AMRIT NAHATA: It impedes development in very relevant respect, that we are not allowed to speak in Rajasthani in this House.

DR. KARNI SINGH: Translation was not possible.

SHRI H. R. GOKHALE: I would request hon. members to consider whether a more practical approach is not called for, whether a comprehensive examination, a second look, should not be given to the whole scheme of the Eighth Schedule. I would appeal to the Mover to withdraw the Bill.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North-East): Is Government giving an assurance that a second look would be given by Government itself in regard to this matter?

SHRI H. R. GOKHALE: Government will certainly give very respectful attention to the trend of opinion in this House, as it must. Government will also have to consider side by side whether other languages ought to be considered and at the appropriate time Government will give due weight to the opinion expressed on these three languages as well as others.

श्री हुकम चन्द कछवाय: सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग एक करोड़ लोग बुंदेलखंडी भाषा बोलने वाले हैं। वह बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है और आप उस को सुन कर गद्‌गद् हो जायेंगे। वह इतनी मीठी और सुन्दर भाषा है। अगर आप अनुमति दें, तो मैं उसी भाषा में बोलूं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी और मालवी बड़ी महत्वपूर्ण भाषायें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में इन भाषाओं को भी संविधान की आठवीं सूची में जोड़ेगी, ताकि इन भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिले।

SHRI H. R. GOKHALE: Whatever I have said applies to other languages also.

SHRI AMRIT NAHATA: There has been a mini revolution in Rajasthan one of the reasons for which is that Rajasthani was not recognised in that State.

श्री भोगेन्द्र झा: सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में महोदय ने जो जवाब दिया है, मुझे उस पर खेद है। बहुत से माननीय सदस्यों को इस बिल को आज इस सदन में आने की उम्मीद नहीं थी, इस लिए इस समय बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं और जो उपस्थित हैं, वे इस बारे में तैयारी कर के भी नहीं आये हैं। मैं भी यह समझता था कि वह बिल आज नहीं आ पायेगा और 5 अगस्त को आयेगा। इस लिए जो बहुत से सदस्य इस बिल का समर्थन करते, वे आज गैरहाजिर हैं।

मैं समझता हूं कि इस बिल पर मंत्रि-मंडल में विचार करने का अभी तक मौका नहीं मिला है। इस लिए मेरा आग्रह है कि इस के बारे में सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उस पर सरकार 5 अगस्त तक विचार करे और उस दिन मंत्री महोदय सरकार का रुख प्रकट करें। उस के बाद इस बिल पर बहस को समाप्त किया जाये।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना जवाब पूरा कर दें।

श्री अमृत नाहाटा: माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगले दिन सरकार की तरफ से इस बिल के बारे में जवाब दे दिया जाये और तब वह इस को वापिस लेने के बारे में निर्णय करें।

श्री भोगेन्द्र झा: सभापति जी, जो बातें यहां कही गई हैं, कुछ लोगों ने इसे उलझाने

[श्री भोगेन्द्र झा]

का प्रयास किया है कि यह हिन्दी की डायलेक्ट, उप-भाषा है या भाषा है, तो इस में जिन भाषाओं का जिक्र मैं ने किया है उस में हिन्दी की उपभाषा एक भी नहीं हो सकती है। हिन्दी से ऊपर की सीढ़ी में वह जा सकती हैं, उन की बहन हो सकती हैं, उस की दादी हो सकती है।

श्री हुकम चंद कछवाय : बेटी भी हो सकती हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं। बेटी नहीं हो सकतीं है। बेटी वह हो सकती है जिसका जिक्र आप ने किया है। लेकिन यह पुरानी भाषाएं हैं। इसलिए मैं ने कहा कि मैथिली का साहित्य 1 हजार साल का अभी मौजूद हैं। इस के पहले का नहीं है। काव्य के रूप में इस का साहित्य मौजूद है। डा० रानेन सेन जी ने जिक्र किया है विद्यापति के समान कवि इस में हुए। कई-कई सौ साल पहले का साहित्य मौजूद है और आज यह एक समृद्ध भाषा है जिस में लोग अपना काम करते हैं। जिस काम के लिए आप रोक देते हैं उस को छोड़ कर बाकी सभी उसी भाषा में वह लोग करते हैं। इसी तरह राजस्थानी में भी मीराबाई से लेकर आगे तक साहित्य है। और उस से पहले भी यह भाषा थी, इसीलिए तो मीराबाई के जरिये इतने जोरदार ढंग से उस का इजहार हुआ। और जैसा कि आप सुन चुके हैं, सन् 1905 ई० से अंग्रजों के जमाने से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मैथिली को स्थान दिया गया था और आज तो कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस और बिहार के विश्वविद्यालयों में भी उस को स्थान मिला हुआ है। इस पृष्ठ भूमि में जो मंत्री महोदय ने कहा कि इस को लोग बढ़ावा दें तो लोग बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों ने मातृभाषाओं को कुचला और दबाया और अंग्रेजी को ऊपर से लाद दिया। इसलिए हमारी विभिन्न मातृभाषाएं अंग्रेजी जमाने में दबाई गईं, कुचली गईं। और कुछ उस के पहले से भी कुचली गईं क्योंकि सरकारी भाषा लोगों पर लादी जाती रही, चाहे वह फारसी हो, अंग्रेजी हो या कुछ भी हो और बाकी मातृभाषाओं को दबाया जाता रहा। यह कुछ हजार वर्षों से हमारे यहां यह अड़चन चलती रही और अंग्रेजी राजमें अंग्रेजी जोरदार ढंग से लाद दी गई। लेकिन यह पुरानी भाषाएं आज भी लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। मैथिली में तो प्राथमिक से ले कर स्नातकोत्तर तक शिक्षा हो रही हैं। भोजपुरी के बारे में कहा कि जो उन को फिल्मों का हाल रहा, कितनी मिठास उन में थी, मैं ने साइकिल रोक कर उस का गाना सुना, मैं साइकिल पर चल रहा था, उस का गाना सुना तो साइकिल का पैडिल रोक कर मैं ने उस का गाना सुना। राजस्थानी का जिक्र भी आपने सुना। संविधान के आठवें शेड्यूल में 15 भाषाएं हैं उनमें से कइयों से यह भाषाएं ज्यादा समृद्ध भी हैं, और ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल भी होती हैं। उन से कइयों से ज्यादा पुरानी हैं। लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में और इस्तेमाल में लायी जाती हैं। कहते हैं कि आठवें शेड्यूल में रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है जरूरत तो 15 को क्यों रखा हैं ? मैं यह नहीं समझता कि मंत्री जी के कहने का यह मतलब है कि बिना सोचे समझे रख दिया।

सभापति महोदय : अब आप दूसरी बार बोलिएगा।

17.28 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION *RE* : EXPENDITURE ON GANDAK PROJECT

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, आज मैं जो आधे घंटे की चर्चा उठाने जा रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने एक प्रश्न दिया था 29-6-71 को तारांकित प्र० संख्या 787, उसी के जवाब के बाद मुझको आवश्यकता पड़ी कि मैं आधे घंटे की चर्चा कराऊं। यह गंडक प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए